

सं0सं0-16/एम.1-57/2015
देशी चिकित्सा निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 श्याम सुन्दर सिंह,
निदेशक, देशी चिकित्सा।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
सभी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज

अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना

प्रबंधक,
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना

उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, कदमकुआँ, पटना

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक -

विषय :-सेवांत लाभ के लम्बित मामलों के निपटारे हेतु दिनांक 06.02.2016 को पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक 220(18) दिनांक 28.01.2016 एवं 142(18) दिनांक 18.01.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि दिनांक 13.01.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहुत Empowered Committee की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पेंशन के अत्यधिक लंबित मामले पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं इसमें शीघ्रातिशीघ्र निपटारे का निर्देश दिया गया।

प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेश दिया गया है कि दिनांक 06.02.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सभी जिला मुख्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों (यथा देशी चिकित्सा के क्षेत्रीय मुख्यालय) जहां पेंशन के मामले लंबित हैं वहां पेंशन अदालत का आयोजन कर मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाय तथा इससे संबंधित सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाय।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 06.02.2016 को निश्चित रूप से पेंशन अदालत आयोजित किया जाय एवं वर्ग 'ग' तथा 'घ' के लंबित पेंशन मामले का निस्तार किया जाय। वर्ग 'क', 'ख' एवं 'ग' के मामले में यदि आवश्यकता हो तो आवश्यक आदेश विभाग एवं निदेशालय से प्राप्त कर शीघ्र मामले का निस्तार किया जाय। निर्धारित तिथि को पेंशन अदालत आयोजित नहीं होने की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक, देशी चिकित्सा

ज्ञापक- 196(६०/१०)

पटना, दिनांक- 03/02/2016

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आशुलिपिक/श्री शंकर प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, देशी चिकित्सा

Send post/Fax/E-mail

सं०सं०-18/बैठक-06/2013 (खण्ड) -I 142 (18)

स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना

47
47

प्रेषक :

शंकर प्रसाद,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

- ✓सभी सिविल सर्जन, बिहार।
- ✓सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
- ✓सभी प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल बिहार,
- ✓सभी प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक
सभी राज्य कार्यक्रम पदा० बिहार
(मलेरिया/फाइलेरिया/कुष्ठ/क्षय/अंधापन)
- ✓प्राचार्य SIHFV शेखपुरा पटना
प्रशाखा पदा स्वा० विभाग (प्रशाखा-2, 3, 5, 15, 16, 17)

पटना, दिनांक- 18/01/2016

विषय:- सेवांत लाभ के लंबित मामलों के निपटारे हेतु 28.01.2016 को पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-13.01.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत Empowered committee की बैठक में स्वा० विभाग में पेंशन के अत्यधिक लंबित मामले पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं इसमें शीघ्रातिशीघ्र निपटारे का निर्देश दिया गया।

उक्त के आलोक में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया है कि दिनांक-28.01.15 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सभी जिला मुख्यालयों, क्षेत्रीय अपर निदेशक कार्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों (यथा प्रशाखा तथा देशी चिकित्सा संस्थाओं) जहाँ पेंशन के मामले लंबित हैं वहाँ पेंशन अदालत का आयोजन कर मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाय तथा इससे संबंधित सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाय।

अतः लंबित मामलों की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपको निदेशित है कि निर्धारित तिथि 28.01.2016 को निश्चित रूप से पेंशन अदालत आयोजित किया जाय। निर्धारित तिथि को पेंशन अदालत आयोजित नहीं होने की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

39 am
11/01/16
MS

शु. चतुर्वेदी
21/1/16
201.1.16

विश्वसनीयता

(शंकर प्रसाद)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

Speed post/Fax/E-mail

सं०सं०-18/वैठक-06/2013 (खण्ड) -I अ.उ.स. (18)

स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक :

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
सभी प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल बिहार,
सभी प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल
सभी राज्य कार्यक्रम पदा० बिहार
(मलेरिया/फाइलेरिया/कुष्ठ/क्षय/अंधापन)
प्राचार्य SIHFW शेखपुरा पटना
प्रशाखा पदा स्वा० विभाग (प्रशाखा-2, 3, 5, 15, 16, 17),

पटना, दिनांक- 23/01/2016

विषय:- सेवांत लाभ के लम्बित मामलों के निपटारे हेतु पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्राक-142, दिनांक-18.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसंगिक पत्र के आलोक में पेंशन अदालत आयोजित करने की तिथि में संशोधन किया जाता है। संशोधित तिथि के अनुसार अब आपके स्तर पर यह पेंशन अदालत दिनांक-28.01.2016 के स्थान पर दिनांक-06.02.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित होगी। उक्त पत्र के शेष सभी बिन्दु यथावत रहेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना